

समाहरणालय, मधेपुरा।

(सामान्य शाखा)

आदेश

दिनांक-18 अप्रैल, 2015 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति, मधेपुरा के बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-379/स्था0 दिनांक-18 मई, 2015 (छायाप्रति सलंगन) में लिए गए निर्णय के आलोक में चौकीदार दफादार संवर्ग से सम्बंधित अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित कुल- 02 (दो) अभ्यर्थियों को उनके नाम के समक्ष अंकित पद एवं वेतनमान में औपबंधिक (पूर्णतः अस्थायी) रूप से योगदान की तिथि से निम्नशर्तों के साथ नियुक्त किया जाता है। पदस्थापन कार्यालय प्रधान को आदेश दिया जाता है कि जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही में अंकित शर्तों का शत- प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्बंधित अभ्यर्थियों का योगदान स्वीकार करेंगे।

(1)योगदान करने के पूर्व अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए कि किसी संगीन अपराध के आरोप में उन्हें कारावास का दंड नहीं दिया गया है। किसी भी प्रकार का अपराधिक मामला वर्तमान में उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। जिससे उन्हें मृत्युदंड अथवा कारावास की सजा देने की संभावना हो अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छह माह अथवा उससे अधिक दंड दिया जा सकता हो।

(2)भविष्य में प्रमाण- पत्र गलत या फर्जी जाए जाने की स्थिति में सेवा से वर्खास्तगी के साथ-साथ अपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा एवं भुगतान की गई सम्पूर्ण वेतनादि की राशि सूद सहित वसूलनीय होगी।

(3)भविष्य में मृत चौकीदार/दफादार के अन्य आश्रितों का भरण पोषण नहीं करने के सम्बंध में प्राप्त शिकायत पत्र के आधार पर नियुक्ति किसी भी समय रद्द कर दी जाएगी एवं इस सम्बंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण मान्य नहीं होगा।

(4)योगदान करने के पूर्व अभ्यर्थी को अपनी सम्पत्ति का पूर्ण व्यौरा शपथ-पत्र के माध्यम से समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(5)इस आशय का शपथ- पत्र देना अनिवार्य होगा कि वे अपनी शादी में दहेज नहीं लेंगे/पुनर्विवाह नहीं करेंगे एवं सभी निरूपित सेवा सम्बंधी प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

(6)योगदान प्राप्त करने वाले कार्यालय प्रधान अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र एवं सलंगन कागजात पमाण पत्र आदि का सत्यापन अपने स्तर से करने के उपरांत व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने पर ही वेतनादि का भुगतान करेंगे।

(7)योगदान के साथ उपर्युक्त धोषणा पत्र के अलावे असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर मूल में समर्पित करना होगा।

(8)आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर योगदान स्वीकार्य होगा।

✱

क्रमांक	नियुक्त अभ्यर्थी का नाम एवं विवरण	नियुक्ति पद का नाम एवं वेतनमान	पदस्थापन कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति।
1	श्री अमर कुमार पिता-स्व० जागेश्वर पासवान पूर्व चौकीदार, बीट संख्याँ-1/8 मुरलीगंज।	समूह 'ध' चौकीदार पर पर। वेतनमान- 4400-7400 + ग्रेड पे-1800	अंचल कार्यालय, मुरलीगंज। बीट संख्याँ- 1/8 के रिक्त पद पर।	दिनांक-18/0 4/2015 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति के बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-379 -2/स्था० दिनांक-18/0 5/2015 की कंडिका-07 में लिये गये निर्णय द्रष्टव्य।
2	श्री ढोढाय पासवान पिता-स्व० देवो पासवान पूर्व चौकीदार, बीट संख्याँ-1/4 पुरैनी।	समूह 'ध' चौकीदार पर पर। वेतनमान- 4400-7400 + ग्रेड पे-1650 शैक्षणिक योग्यता- आठवाँ उतीर्ण।	अंचल कार्यालय, पुरैनी। चौकीदार, बीट के रिक्त पद पर। संख्याँ-1/4	दिनांक-18/0 4/2015 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति के बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-379 -2/स्था० दिनांक-18/0 5/2015 की कंडिका-14 में लिये गये निर्णय द्रष्टव्य।।

इसकी सूचना सभी सम्बंधितों को दी जाय।

ह०/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक-665/सा०, मधेपुरा दिनांक-06 जून, 2015

प्रतिलिपि- नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/ अंचल अधिकारी- मुरलीगंज एवं पुरैनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ। निदेश है कि इसे जिला के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाय एवं सम्बंधितों को ईमेल भी कर दें।

जिलाधिकारी
मधेपुरा।

(Handwritten signature)